

(भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ)
(भाग I खंड 1)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं० 53/2015-20
दिनांक: 31 मार्च, 2022

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 2.04 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2015-20:

1. पैरा 1.01 में '31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश को '30.09.2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
 2. पैरा 3.20 (क) में, 'या 31.03.2022, जो भी बाद में हो, 'वाक्यांश को 'या 30.06.2022, जो भी बाद में हो' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
 3. पैरा 4.12(vi) में, पहले वाक्य में यथा उल्लिखित दिनांक '31.03.2022', को '30.09.2022' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 की वैधता 30 सितंबर, 2022 तक आगे बढ़ाई गई है।

संतोष कुमार सारंगी
31.3.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल-dgft@nic.in

(फा.सं. 01/75/171/00020/एएम-22/एफटीपी प्रकोष्ठ से जारी)